



Advertisement for Empanelment of GIS Agencies

Delhi Development Authority invites the applications from reputed GIS agencies for carrying out GIS survey of properties in unauthorized colonies in Delhi under **PM-UDAY** (Pradhan Mantri-Unauthorised Colonies in Delhi Awas AdhikarYojna). The GIS agencies shall have:

- A) Experience of providing GIS services and should have executed/ operationalized relevant projects in last three years with Government of India or any State Governments (or its autonomous/PSU/ Subordinate Organizations / Local Bodies etc.).
- B) Valid DGPS Equipment Owner Certification.
- C) At least 25 technically sound surveyors on their roll.
- D) The Agency should not be barred/ blacklisted by DDA or any other government agency.

The rates for GIS survey have been fixed on the basis of area of the property which are as follows:

Carpet Area (in case of built up)/Plot Area (in case of vacant plot)	Amount (in Rs.)
Less than 100 sqm	800/- + GST
More than (or equal to) 100 sqm but less than 250 sqm	1000/- + GST
Greater than or equal to 250 sqm	2500/- + GST

The GIS agencies interested to work as per the Scope of Work available on DDA's website (https://www.dda.gov.in/sites/default/files/ pmuday/Scope_of_work_for_GIS_agencies11012022.pdf) and on the above mentioned rates may submit their proposal in the prescribed format as available on DDA website within two weeks of publishing of this advertisement, to Commissioner (PM-UDAY), Delhi Development Authority, First Floor, A-Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023.

Follow us on : f @ddaofficial 9 @official_dda

Visit DDA Website: www.dda.org.in or Toll Free No. 1800-110332





जीआईएस एजेंसियों के इम्पैनलमेंट के लिए विज्ञापन

दिल्ली विकास प्राधिकरण **पीएम–उदय** (प्रधानमंत्री–दिल्ली आवास अधिकार योजना में अनधिकृत कॉलोनियां) के अंतर्गत दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों के जीआईएस सर्वे कार्य को निष्पादित करने के लिए प्रतिष्ठित जीआईएस एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है। जीआईएस एजेंसियों के पास निम्नलिखित होना चाहिए:

- क) जीआईएस सेवाएं प्रदान करने का अनुभव और उन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार (या इसके स्वायत / पीएसयू / अधीनस्थ संगठनों / स्थानीय निकायों आदि) के साथ पिछले तीन वर्षों में संगत परियोजनाओं का निष्पादन / परिचालन किया होना चाहिए ।
- ख) वैध डीजीपीएस उपकरण मालिक प्रमाणन **।**
- ग) अपने रोल में न्यूनतम 25 तकनीकी रूप से सक्षम सर्वेयर |
- घ) एजेंसी को डीडीए या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित / ब्लैकलिस्ट नहीं किया होना चाहिए।

जीआईएस सर्वे की दर संपत्ति के एरिया के आधार निर्धारित की गई हैं जो निम्नानुसार हैं:

कॉर्पेट एरिया (किए हुए निर्माण के मामले में)/प्लॉट एरिया (खाली प्लॉट के मामले में)	राशि (रु. में)
100 वर्ग मीटर से कम	800/- + जीएसटी
100 वर्ग मीटर से अधिक (या इसके बराबर) लेकिन 250 वर्ग मीटर से कम	1000/- + जीएसटी
250 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक	2500/- + जीएसटी

डीडीए की वेबसाइट (https://www.dda.gov.in/sites/default/files/pmuday/Scope_of_ work_for_GIS_agencies11012022.pdf) पर उपलब्ध कार्य के क्षेत्र के अनुसार एवं उपरोक्त वर्णित दरों पर कार्य करने की इच्छुक जीआईएस एजेंसियां डीडीए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपने प्रस्ताव इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के अंदर आयुक्त (पीएम–उदय), दिल्ली विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, ए–ब्लॉक, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली–110023 के पास प्रस्तुत कर सकते हैं।

हमें फॉलो करें : 📑 @ddaofficial 🔰 @official_dda

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट <u>www.dda.org.in</u> देखें या टॉल फ्री नंबर 1800–110332 डायल करें